कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ ( )कार्मिक/प्रमुवसं/2021/3971 दिनांक 23-9-2021

परिपत्र

कैरियर के प्रारम्भिक वर्षों में अच्छी मेंटरिंग अधिकारियों और कर्मचारियों के जीवन में सफलता दिलाने के साथ ही सम्बंधित विभाग के कार्यों में भी बेहतरी ला सकती है। कार्यों के सुधार एवं एक बढ़िया वन बल को बनाए रखने में प्रभावी मेंटरशिप की भूमिका महत्वपूर्ण है। जमीनी स्तर पर सफलता हेतु मानव-संसाधन की क्षमता वृद्धि हेतु किये जाने वाले अन्य समस्त उपायों और प्रशिक्षणों की तुलना में मेंटरशिप की भूमिका अधिक प्रभावी पायी गयी है। अतः इस वर्ष प्रारम्भ में वनरक्षकों के एक समूह हेतु मेंटरशिप कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है। मेंटरिंग की प्रारम्भिक अवधि दो माह होगी और मुख्यतया ऑनलाइन तथा निदेशक, राजस्थान वन्यजीव एवं वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में दो कार्यशालाओं के माध्यम से होगी।

मेंटरशिप कार्यक्रम में मुख्यतया वन, वन्यजीव एवं जैव-विविधता संरक्षण, संवर्धन, पुनरुत्पादन एवं प्रबंध से जुड़े विषय लिए जायेंगे। वन विभाग के विभिन्न कार्यों से जुड़े तकनीकी विषयों के साथ ही सॉफ्ट-स्किल्स (मानवीय कौशल) पर भी ध्यान दिया जायेगा। इनमें बहु-आयामी व्यक्तित्व, नेतृत्व-क्षमता, समाजोन्मुखी व्यवहार, भावनात्मक-नियमन, सहकर्मियों के साथ परस्पर व्यवहार, जनसमस्याओं के समाधान आदि शामिल हैं।

इसमें सम्मिलित होने के इच्छुक वनरक्षक स्वयं का आवेदन अपने उप वन संरक्षक के माध्यम से 30 सितम्बर 2021 तक निदेशक, राजस्थान वन्यजीव एवं वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन के साथ 100 शब्दों में मेंटरशिप में सम्मिलित होने का स्पष्ट उद्देश्य अवश्य संलग्न करें। पहले बैच में वर्ष 2015 के बाद भर्ती होने वाले वन रक्षक ही आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी वनरक्षक ने वन विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग में चयन के लिए पूर्व से आवेदन कर रखा है, तो वह मेंटरशिप के लिये पात्र नहीं होगा। यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है अतः अनिच्छुक वनरक्षकों का नामांकन उप वन संरक्षक द्वारा नहीं किया जाना है।

(डा. दीप नारायण पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान जयपुर।

DCF(IT)
Host on website
29/9.

Programmer
DCF(IT)
1/10/2021

क्रमांक एफ ( )कार्मिक/प्रमुवसं/2021/3972-4089 दिनांक 23-9-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/विकास/प्रशासन, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक APCCF (IT, सूचना एवं प्रौद्योगिकी)
3. समस्त संभागीय मुख्य वन संरक्षक
4. निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।
5. समस्त मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव प्रभाग
6. समस्त उप वन संरक्षक प्रादेशिक/वन्यजीव

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान जयपुर।